# न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारीः—श्री सुरेश राव (आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्या :—131/2022**

**जीसीएमएस नं. :—2022/356**

श्रीमती बिन्द्र कौर पत्नी लालसिंह जाति मजहबी निवासी चक 24 एएस —सी तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——— **प्रार्थीया**

बनाम्

1. गुरसेवक सिंह पुत्र मोहन सिंह जाति मजहबी निवासी चक 15 एच तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

————**अप्रार्थीगण**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट**

**दिनांक :—** 27/02/26

## —:: निर्णय ::—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 15 एच तहसील अनपगढ का मुरब्बा नम्बर 42 पत्थर सं.—40/4 5 के किला नम्बर 1 ता 25 की कल 6.325 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला व मुरब्बा सं.—41 पत्थर सं. 40/53 के किला नम्बर 1 ता 25 की कल 5.363 हैक्टर अनकमाण्ड इस प्रकार कल 11.688 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी मुश्तरका खाता में करनैलसिहं पुत्र साधुसिहं जाति बावरी निवासी 1 एल एस एम तहसील अनूपगढ के नाम से 5525/11688 हिस्सा यानि 5.525 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा करनैलसिहं द्वारा अपने उक्त हिस्सा की भमि का बैचान प्रार्थीया को करके बैयनामा दिनांक 16.06.2020 को प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित कर पंजीकृत करवा दिया जिस पर बैयनामा के आधार पर उक्त 5525/11688 हिस्सा यानि 5.525 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी प्रार्थाया के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है वर्तमान में प्रार्थीया उक्त 5525/11688 हिस्सा यानि 5.525 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि की खातेदार कृषक है । जमाबन्दी की प्रति सलग्नं प्रार्थना पत्र है। विक्रेता करनेलसिहं के द्वारा चुंकि कुल कृषि भमि मे से अपने 5525/11688 हिस्सा यानि 5.525 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला [illegible] कृषि भमि का बैचान प्रार्थीया को करके उक्त भमि का कब्जा प्रार्थीया को मौका [illegible]नामा दिनांक 16.6.2020 के रोज ही सौपं दिया था प्रार्थीया [illegible] है कि विक्रेता करनैलसिहं का अपने सह काश्तकारान के साथ उक्त [illegible] खाता की कुल कृषि भूमि का पारस्परिक तौर पर घरेलू बटंवारा हो रखा था जिस घरेलू बटंवारा में विक्रेता करनैलसिहं के धारण एवं कब्जा में चक 15 एच तहसील अनुपगढ का

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.09 13:00:24 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

मरब्बा नम्बर 42 पत्थर सं.40/45 के किला नम्बर 1 ता 12 प्रत्येक सालम व 13 का आधा व मुरब्बा सं. 41 पत्थर सं 40/53 के किला नम्बर 2 ता 10 प्रत्येक सालम व किला नम्बर 11 ता 15 प्रत्येक आधा आधा इस प्रकार कुल 5.525 हैक्टर कमाण्ड/अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी कब्जा काश्त में थी तथा वरवक्त बैयनामा दिनांक 16.6.2020 को विक्रेता करनैलसिहं ने घरेलू बटंवारा अनुसार अपने कब्जा काश्त के उक्त किलाजात का कब्जा मौका पर प्रार्थीया को सौपं दिया था तथा अपने नाम की पानी की परची भी प्रार्थीया को सौपं दी थी जिस पर तब से लेकर आज रोज तक प्रार्थीया का विवादित भूमि पर कब्जा चला आ रहा रहा है तथा वर्तमान में भी प्रार्थीया श्के कब्जा.काश्त है। प्रार्थीया निवेदन करती है कि विक्रेता करनैलसिहं द्वारा वरवक्त बैयनामा दिनांक 16.6.2020 को घरेलू बटंवारा मुताबिक अपने हिस्सा व कब्जा की चक 15 एच तहसील अनूपगढ का मुरब्बा नम्बर 42 पत्थर सं. 40/45 के किला नम्बर 1 ता 12 प्रत्येक सालम व 13 का आधा व मुरब्बा सं. 41 पत्थर स 40/53 के किला नम्बर 2 ता 10 प्रत्येक सालम व किला नम्बर 11 ता 15 प्रत्येक आधा आधा इस प्रकार कल 5.525 हैक्टर कमाण्ड/ अनकमाण्ड मय खाला खातेदारी का कब्जा मौका पर प्रार्थीया को सौपं दिया था जिस पर तब से लेकर प्रार्थीया का शान्तिपुर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है लेकिन पूर्व में उक्त विवादित भूमि के एक सह काश्तकार लालचन्द पुत्र गोविन्दराम जाति नायक निवासी 15 एच तहसील अनूपगढ द्वारा प्रार्थीया के कब्जा काश्त की उक्त विवादित भूमि पर दखलन्दाजी पैदा करने पर प्रथीया द्वारा लालचन्द के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अर्नतगत धारा 188 आर टी एक्ट श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत किया तो वाद अनवानी बिन्द्रकौर बनाम लालचन्द आदि वाद सं. 37/2020 पर संस्थित हुआ । तत्पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा वाद सं. 37/2020 प्रार्थीया के पक्ष में दिनांक 28.07.2021 को निर्णित एवं डिक्रित किया जाकर अप्रार्थी लालचन्द को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि "अप्रार्थी सं 1 विवादित कषि भमि वाके चक 1 5 एच तहसील अन्पगढ का मुरब्बा नम्बर 42 पत्थर सं. 40/45 के किला नम्बर 1 ता 12 प्रत्येक सालम व 13 का आधा व मरब्बा सं. 41 पत्थर सं 40/53 के किला नम्बर 2 ता 10 प्रत्येक सालम व किला नम्बर 1 ता 15 प्रत्येक आधा आधा इस प्रकार कल 5.525 हैक्टर पर प्रार्थीया के कब्जा काश्त, उसके उपयोग उपभोग एवं उसके लिऐ प्राप्त हो रही सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार की वेजा मदाखलत पैदा करने व करवाने [illegible] ममनू रहे " निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.2021 [illegible] दौरान ही उक्त संयुक्त खाता के पूर्व सह काश्तकार लालचन्द [illegible] द्वारा अपने हिस्सा की भूमि का बैचान अप्रार्थी [illegible] वर्तमान में लालचन्द का हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है चूंकि अप्रार्थी सं. 1 उक्त सयुक्तं खाता की भूमि का सह काश्तकार बन चुका है जिसे भी प्रार्थीया के कब्जा काश्त की भूमि का पूर्ण ज्ञान है चूकिं प्रार्थीया औरतजात है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.09 13:00:24 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ

उक्त कषि भूमि को अपने कब्जा काश्त में लेकर अपने निर्देशन में काश्त करवा रही है जिसका वेजा फायदा उठाकर अप्रार्थी सं. 1 अब पिछले कुछ समय से प्रार्थीया के काश्तकार के कषि कार्य में वेजा दखलन्दाजी पैदा करने लग गया है तथा प्रार्थीया के कब्जा काश्त की मरब्बा सं. 41 पत्थर सं. 40/53 क किला नम्बर 2,3,4.,5 की भूमि में प्रार्थीया की काश्त में, सिंचाई में दखलन्दाजी करने लग गय तथा एलानिया कहने है कि प्रार्थीया अथवा उसके किसी काश्तकार को उक्त विवादित भूमि के किला नम्बर 2,3,4,5 को काश्त नंही करने देगा और ना ही वह न्यायालय के किसी फैसले को मानता है जबकि अप्रार्थी सं. 1 को ऐसा करने कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है। आज से अरसा पाचं रोज पूर्व भी अप्रार्थी सं. 1 ने मौका पर आकर प्रार्थीया व उसके काश्तकार के साथ झगड़ा किया उसके कृषि कार्य में बाधा पैदा करने लगा और सरेआम व एलानिया धमकी दी है कि किला नम्बर 2,3,4,5 की जमीन क प्रार्थीया चुपचाप छोड़ देवे अन्यथा वह जबरदस्ती प्रार्थीया को बेदखल कर अपना कब्जा कर लेगा जिस पर उस समय तो प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं. 1 के उक्त मकसद को विफल कर दिया लेकिन जाते समय अप्रार्थी सं.1 ने शिघ्र ही धमकी दी कि वह किला नम्बर 2,3,4,5 की भूमि प्रार्थीया को काश्त नंही करने देगा बल्कि वह इस जमीन पर अपना कब्जा करेगा और आने वाली पानी की बारी भी वह लगाऐगा तथा प्रार्थीया को बलपुर्वक बेदखल कर देगा। प्रार्थीया विवादित भूमि की खातेदार कृषक है ओर प्रार्थीया का विवादित भमि पर शान्तिपुर्वक लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थीया की उक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि मे किसी प्रकार का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नंही है लेकिन अप्राथीं सं 1 लालचवश व बेईमानी पूर्वक प्रार्थीया को विवादित कृषि भूमि से जबरन बेदखरल कर उस पर अवैध रूप से काबिज होने के प्रयासरत है। जबकि प्रतिप्रार्थीया को ऐसा करने का कतई विधिक अधिकार नंही है। अगर अप्रार्थी सं.1 अपने उक्त नापाक ईरादे मे कामयाब हो गया तो इससे प्रार्थीया के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा ओर प्रार्थीया को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षति पूर्ति मुद्रा की ऐवज में नंही हो सकेगी। इसलिऐ प्रार्थीया विवादित कृषि भूमि पर अपने अधिकार एवं अधिपत्य को बनाये रखने के लिऐ अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है । प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन पुर्णतया प्रार्थी क पक्ष में बनता है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि [illegible] मूल वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई नि[illegible] सं 1 विवादित कृषि भूमि वाके चक 15 एच तहसील अनूपगढ़ का [illegible] नम्बर 42 पत्थर सं. 40/45 के किला नम्बर 1 ता [illegible] आधा व मरब्बा सं. 41 पत्थर सं. 40/53 के किला नम्बर 2 ता 10 प्रत्येक सालम व किला नम्बर 11 ता 15 प्रत्येक आधा आधा इस प्रकार कल 5.525 हैक्टर पर प्रार्थीया के कब्जा काश्त, उसके उपयोग उपभोग एवं उसके लिऐ प्राप्त हो रही सिंचाई सुविधा

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.09 13:00:24 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उप जिला [illegible]
जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

मे किसी प्रकार की वेजा मदाखलत पैदा करने व करवाने से बाज वा ममनु रहे व प्रार्थीया के काश्तकार को किसी प्रकार से तंग परेशान करने व उसके कृषि कार्य में बाधा करने से व्यादेशित रहे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया एवं अप्रार्थी द्वारा किये गये अतिरिक्त कथनानुसार पंजीकृत बैयनामा के आधार पर मन अप्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि दर्ज हुई है। चुंकि अप्रार्थी विवादित भूमि का सह खातेदार है और प्रार्थीया एक खातेदार के विरूद्ध कानूनन किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने की विधिक अधिकारी नहीं है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने से काबिले निरस्ती के है। प्रार्थीया के कथनानुसार उक्त सय्रक्तं खाता की भूमि का सह काश्तकारान के मध्य घरेल् बटंवारा हो रखा है तो प्रार्थीया को नियमानुसार खाता विभाजन का वाद पत्र प्रस्तत करना चाहिऐ था बल्कि प्रार्थीया द्वारा न तो खाता विभाजन का वाद पत्र प्रस्तृत किया और ना ही खाता विभाजन का अनुतोष चाह लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 188 आर टी एक्ट के वाद में ही बिना समस्तसह काश्तकारों को पक्षकार मुकदमा बनाए किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का विधिक अधिकारी नंही है। वाद पत्र में दर्ज समस्त कृषि भूमि मौका पर सयूक्तं राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसका अभी तक सह खातेदारान के मध्य खाता विभाजन नंही हूआ है ओर ना ही अभी तक किसी हिस्सेदार के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि अपीलाधीन भूमि में किस हिस्सा पर व किस किला पर किस हिस्सेदार का कब्जा है। क्योकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सह काश्तकार का प्रत्येक सहकारतकारी भूमि के प्रति इन्च पर कब्जा होता है ऐसी स्थिति में बाद खाता विभाजन प्रार्थीया किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की विधिक अधिकारी नहीं है। अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के वाद सं. 37/2020 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.2021 के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर रखी है जो विचाराधीन है जिसमें न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 28.1.2022 को निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.07.2021 की क्रियाविन्ती स्थगित रखने के स्थगन आदेश प्रदत किए गए है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीया किसी प्रकार का अनुतोष माननीय न्यायालय से प्राप्त करने की विधिक अधिकारी नंहीं है।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष [illegible] कथित अभिवचनों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्ता[illegible] एवं [illegible] जवाब का अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीए के प्रार्थना[illegible] के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन [illegible] इस प्रकार से है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.09 13:00:24 IST
Reason: SelfAttested

**प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– यह कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाता की सम्पति है। जिसमे प्रार्थीगण का हित

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

निहित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है तथा अप्रार्थीगण को इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहते है कि वे अपनी भूमि विक्रय या हस्तान्तरित नहीं करे। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सह–खातेदार काष्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता और ना ही सह–खातेदार काश्तकार को उसके हिस्से की भूमि का बेचान करने से निर्बन्धित किया जा सकता है। सह–खातेदार बिना विभाजन करवाये अपनी सम्पति को विक्रय करने अथवा काष्त करने के हकदार है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने या अप्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि विक्रय/हस्तान्तरित व काश्त करने से निर्बन्धित करवाने के अधिकारी नही है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस के तथ्यों से भी उक्त तथ्य व विधिक सिद्धान्तों को बल मिलता है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

**सुविधा का संतुलनः**—जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष मे सिद्ध नही होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेद्याज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थी के अपेक्षा अप्रार्थीगण को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थी अपनी जरूरतो से वंचित हो जावेगें एवं अप्रार्थी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेगें। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

**अपूर्णीय क्षतिः**—प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में तय हो चुके है तथा प्रार्थी अपने पक्ष में दोनों बिन्दू साबित करने में असफल रहे है। अप्रार्थीगण जो कि सह–खातेदार काश्तकार है इस स्थिति में अगर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेगें। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नही है।

**—:: आदेश ::—**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया के विरूद्ध तय किये गये है। प्रार्थीया न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27/02/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश राव)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2026.03.09 13:00:24 IST
Reason: SelfAttested